विदेश आदि में प्रतिनियुक्ति इत्यादि और समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए जो आदेश और निर्णय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो पर लागू होते हैं, वे नियम केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के समान्य विनियमो के सदर्भ में केन्दीय परिषद द्वारा बनाए गए स्थायी आदेशो में विशेष रूप से जिन मामलों की व्यवस्था नही की गई है उनके सँबंध में केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियो पर यथोचित परिवर्तनो सहित लागू होंगे ।

(ख) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् में अनियमितताओं के बारे मे इस मंत्रालय मे एक ज्ञापन राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है ।

(ग) इस ज्ञापन मे निहित आरोपों के बारे में पैदावार टिप्पणियों केन्द्रीय परिषद् से मांगी गई है, जिनकी अभी प्रतीक्षा है ।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा की गई क्षतिपूर्ति

1289. **श्री बलराम सिंह यादव :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या पेट्रोलियय और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 दिसम्बर, 1990 के "फाइनेनशियल एक्सप्रैस" मे "इंडियन आयल कारपोरेशन पेस 4 मिलियन डालर इन डेमेजस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा अमरीका की कंपनी का निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले मे इंडियन आयल कारपोरेशन के लापरवाही पूर्ण रवैये के बारे मे कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या है और क्या इसके लिए उत्तरदायी लोगों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): (क) और (ख) सरकार ने न्यायालय से बाहर समझौते के लिए इंडियन आयल-कारपोरेशन द्वारा मैसर्स कोस्टल को पूर्ण और अतिम भुगतन के रूप मे 4 मिलियन अमेरिकी डालर के भुगतान को अनुमोदित कर दिया है । यू० के० मे स्थित बैंक से इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा किए गए भुगतान के वितरण की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) और (घ) इस मामले में विशेष रूप से उत्तरदायी अधिकारी इंडियन आयल कारपोरेशन की नौकरी में नहीं है और अत उनके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई नही की जा सकती है । उस मामले मे प्रथमदृष्ट्या कोई अपराध भी स्पष्ट नहीं होता है ।

कच्चे तेल के उत्पादन की स्थापित क्षमता का उपयोग

1290. **श्री जलराम सिंह यादव :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1990 की स्थिति के अनुसार देश मे कच्चे तेल का स्थापित उत्पादन और शोधन क्षमता कितनी थी ;

(ख) क्या देश में उत्पादित संपूर्ण कच्चे तेल का शोधन करने का आधार भूत ढांचा है ; और

(ग) यदि नही, तो अक्तूबर, 1990 की स्थिति के अनुसार शोधन क्षमता क्या थी और उत्पादित शेष कच्चा तेल किन देशों को भेजा जाता है और किन शर्तों पर भेजा जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : (क) दिनांक 1-4-1990 से देश मे स्थापित परिशोधन क्षमता 51.85

मिलियन टन प्रति वर्ष है । वर्ष 1990 के अक्तूबर महीने के दौरान कच्चे तेल का देशी उत्पादन 2.558 मिलियन टन था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नही उठता ।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् में पदाधिकारियों की नियुक्ति

1291. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कई वर्ष पहले केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् का गठन कब किया गया था और इस परिषद् के गठन का मुख्य मूल उद्देश्य क्या था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस परिषद् के पदाधिकारियो का विहित नियमों के अनुसार चुनाव करने के बजाय इसके सभी पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया है ;

(घ) यदि हा तो परिषद् के पदाधिकारियों की नियुक्ति निर्वाचन पद्धति से नही करने के क्या कारण है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि पदाधिकारियों के लम्बे समय तक पद पर बने रहने के कारण उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्य हैं और परिषद् में कब तक चुनाव कराए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (प्रो० शकीलुर रहमान) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अनुसार केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का गठन इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने अर्थात् होम्योपैथी में शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने, होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर का रखरखाव करने और उससे संबंधित मामले को देखने के लिए मनोनीत सदस्यो सहित अगस्त, 1974 मे किया गया था ।

(ग) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3 के खंड (1) (ग) के उपबंध के अनुसार, यह परिषद् मनोनीत सदस्यो के साथ गठित की गई थी और इस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, अधिकारियो और कर्मचारियों को निर्धारित नियमो के अनुसार नियुक्त किया गया था ।

(घ) धारा 3 के खंड (1) (क) और (ख) के अनुसार गुजरात राज्य और कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़कर इस परिषद् के सदस्यो के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है । चुनिन्दा सदस्यों के नामो को अधिसूचित कर दिया गया है ।

(ङ) इस मंत्रालय मे केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् मे अनियमितताओं के बारे में "राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा" नई दिल्ली से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से उस पर पैरावार टिप्पणिया मांगी गई है जिसकी प्रतीक्षा है ।

छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिया जाना

1292. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **मानव संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार छात्रों को अनुदान और छात्रवृत्तियां देने की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर